न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 154/2025 (2025/549)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. बी. पारसमल पुत्र स्व. भीकमचंद कवाड़, 2.सुरेश कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 3.अशोक कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 4.बसन्त कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 5.दिनेश कुमार पुत्र बी पारसमल कवाड़, सभी जाति ओसवाल निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर		बुद्धाराम पुत्र नारायणराम, जाति जाट निवासी हनुमान चौक, जाटों का बास, सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **वादीगण की और से अधिवक्ता श्री बाकाराम चौधरी।**
2. **प्रतिवादी संख्या एक की और से कोई उपस्थित नहीं।**

दिनांकः–27-3-2026

–: : निर्णय : :–

1. यह है कि वादीगण के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी, स्वामित्व, कब्जासुदा एक कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 334 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा कुल दो खसरान् की 29 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के पास पटवार क्षेत्र सालावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है, जिसके वादीगण संयुक्त खातेदार है एवं वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा वे उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है। वादीगण के अलावा उक्त भूमि पर अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है।
2. यह है कि वादीगण के द्वारा अपने दावे में यह तथ्य अंकित किये गये कि प्रतिवादी वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के पश्चिम दिशा में आये हुवे खसरा नम्बर 332 में स्थित आम रास्ते की तरफ आये हुवे उत्तरी पूर्व कोने के एक भूखण्ड का खरीददार है, जो खसरा नम्बर 332 में भूखण्ड संख्या 1/बी का अपने आप को मालिक बतलाता है। प्रतिवादी का वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 अथवा उसके किसी भाग में हक, हिस्सा व अधिकार नही है। वादीगण का अपने खातेदारी की कृषि भूमि के खेत खसरा नम्बर 333 व 334 के चारो तरफ माठ बना कर हदबंदी की हुई है, लेकिन प्रतिवादी की नीयत में बदनियती आ जाने के कारण उसने दिनांक 24/02/2012 को वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर यानि सड़क की तरफ की जमीन पर मजदूर लगा कर वादीगण की बनी हुई माठ का तुडवाना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ने प्रतिवादी व उसके मजदूरो को ऐसा करने से मना किया और यह कहा कि उक्त माठ वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 के हदबंदी की माठ है,इसलिए प्रतिवादी को उक्त माठ को तोडने अथवा तुडवाने का कोई अधिकार नही है, परन्तु प्रतिवादी नही माना और उसने वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 की उत्तरी–पश्चिमी माठ को तुडवा दिया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी को ऐसा करने से रोकने पर प्रतिवादी वादीगण से लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गया और उसने वादीगण को धमकी दी की वह वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 की उत्तरी–पश्चिमी कोने की जमीन को अपने भूखण्ड में मिला कर रहेगा, उसका कोई कुछ नही बिगाड सकता। यह है कि उक्त घटना के पश्चात् दिनांक 25/06/2013 को प्रतिवादी पुनः मजदूरो को लेकर मौके पर आया और उसने वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 की रोड की तरफ की उत्तरी–पश्चिमी कोने की भूमि को अपने भूखण्ड में मिलाने के लिए खड्डा खुदवाने लगा जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वह मौके पर पहुचे और उन्होने प्रतिवादी को ऐसा करने से मना किया वादीगण व मौजीज व्यक्तियो के द्वारा काफी समझाईस करने पर प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी की वह उक्त भूमि को अपने भूखण्ड में मिलाकर उसपर चारदीवारी बनवायेगा। प्रतिवादी को ऐसा करने से रोकने बाबत वादीगण के द्वारा मौजूदा दावा प्रस्तुत किया गया।

3. प्रस्तुत दावे को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया एवं प्रतिवादी की ओर से श्री महेश मेहता अधिवक्ता उपस्थित हुवे एवं उन्होने जवाब बाबत समय चाहा एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 18/06/2014 को रिकॉर्ड पर लिया गया।

4. यह है कि प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किये कि जिस पर भूमि वादीगण अपने खसरा नम्बर 333 की उत्तरी–पश्चिमी माठ होना बतला रहे है, वह भूमि खसरा नम्बर 333 की भूमि नही होकर खसरा नम्बर 332 का रूपान्तरित खसरा है जिसके उत्तरी कोने पर प्रतिवादी का भूखण्ड प्लोट संख्या 1–बी आया हुआ है, जिसका प्रतिवादी रजिस्टर्ड पट्टासुदा काबिज मालिक भू–स्वामी है, जिसके चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है। उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 332 के मोहन नगर में आया हुआ है, जो भूखण्ड प्रतिवादी ने प्रकाश माली निवासी रेल्वे स्टेशन, ग्राम सालावास बहैसियत आम मुख्त्यार श्रीमति कलावती पत्नी श्री बद्रीप्रसाद जी योगानन्दी निवासी 14/869 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर से खरीद कर पंजीबद्व करवाया था। वादीगण ने अपने दावे में प्रतिवादी के विरूद्व गलत व झूठे आरोप लगाये है, प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 333 की उत्तरी–पश्चिमी दिशा की माठ को न तो तोडा है और न ही तुडवाया है और न ही प्रतिवादी ने वादीगण से कोई लडाई–झगडा किया और न ही वादीगण को धमकी दी की वह वादीगण को खेत खसरा नम्बर 333 की उत्तरी–पश्चिमी कोने की जमीन को अपने भूखण्ड में मिलाकर रहेगा। वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह है कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावे के पश्चात् प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता के द्वारा मौजूदा प्रकरण में उपस्थित होना बंद कर दिया गया, जिसके कारण इस न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

6. यह है कि दोनो पक्षकारान् की अभिवचनो के आधार पर न्यायालय के द्वारा तनकियात कायम की गई।

7. यह है कि तनकियात बनने के पश्चात् वादीगण की ओर से वादी संख्या 4 का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही की गई एवं उसके पश्चात् वादीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गई। मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही गई है। वादीगण की ओर से खेत खसरा नम्बर 333 व 334 की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 तक प्रदर्श–2, एवं उक्त भूमि का ट्रेस नक्शा प्रदर्श–3, उक्त भूमि का मौका फर्द पटवारी सालावास के द्वारा दिनांक 17/04/2013 को बनायी गई की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4 है। वादीगण के द्वारा दिनांक 20/01/2026 को पटवारी भू–अभिलेख पटवार मण्डल सालावास से अपने खेत खसरा नम्बर 333 व 334 का माप–चौक करवाया गया एवं माप–चौक करवाने पर वादीगण के उपरोक्त वर्णित खसरो की मौके पर रकबा 0.1694 हैक्टेयर भूमि कम पाई गई। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 334 में रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि कुल रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा थी, जो वर्तमान में मौके पर मौजूद नही है, बल्कि उससे कम भूमि मौके पर है, जिससे यह साबित होता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

8. यह है कि प्रतिवादी के द्वारा मौजूदा मुकदमे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, और न ही प्रतिवादी ने वादी की ओर से प्रस्तुत की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन ही किया है। वादी पी डब्लू 1 से जिरह भी नही गई है इस प्रकार वादी बसन्त कुमार के द्वारा साक्ष्य शपथपत्र में अंकित तथ्य अखण्डित रहे है, जिन्हे अस्वीकार नही किया जा सकता है।

9. –:: आदेश ::–

अतः आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा जो ग्राम सालावास, रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आया हुआ है के उत्तरी–पश्चिम कोने की भूमि पर प्रतिवादी वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या दखलंदाजी उत्पन्न करें, इस आशय की निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जाती है। यदि वादीगण के आराजी नंबर 333 व प्रतिवादी के भूखण्ड के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद है तो उभय पक्षकारान सक्षम स्तर से सीमाकंन के लिये स्वतंत्र है।

आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिक्री बमुकदमें दबतदाई

ओर्डर 21 रूल 6,–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 154 / 2025 (2025 / 549)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बी. पारसमल पुत्र स्व. भीकमचंद कवाड़, 2.सुरेश कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 3.अशोक कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 4.बसन्त कुमार पुत्र बी. पारसमल कवाड़, 5.दिनेश कुमार पुत्र बी पारसमल कवाड़, सभी जाति ओसवाल निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर		बुद्धाराम पुत्र नारायणराम, निवासी हनुमान चौक, जाटों का बास, सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

वादीगण के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा जो ग्राम सालावास, रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आया हुआ है के उत्तरी–पश्चिम कोने की भूमि पर प्रतिवादी वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या दखलंदाजी उत्पन्न करें, इस आ ाय की निशेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जाती है। यदि वादीगण के आराजी नंबर 333 व प्रतिवादी के भूखण्ड के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद है तो उभय पक्षकारान सक्षम स्तर से सीमाकंन के लिये स्वतंत्र है।

निज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह .....फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करे।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27-3-2026 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबतइजराय हुक्मनामा			बाबतइजराय हुक्मनामा		
मुतफरिंक मीजान			मुतफरिंक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी